

प्रेस नोट दिनांक 23.10.2024

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

◆ थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा राजदरी देवदरी जंगल के रास्ते 36 राशि गोवंश को वध हेतु पैदल हांककर बिहार ले जाते समय किया गया बरामद साथ ही 02 गो-तस्कर को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्वेक्षण /मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा थाना नौगढ़ पर गठित टीम के द्वारा दिनांक 23.10.2024 को 30नि0 मनोज कुमार तिवारी मय टीम के द्वारा राजदरी देवदरी जंगल से समय लगभग 04.10 बजे 36 राशि गोवंश को वध हेतु क्रूरता पूर्वक बांध कर मारते पीटते पैदल हांककर बिहार ले जाते समय 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग का एक सुसंगठित गिरोह है हम सभी लोग जनपद सोनभद्र के थाना रावर्टगंज व जनपद मिर्जापुर के थाना अहरौरा के आस पास ग्रामीण क्षेत्रों से गोवंशों को सस्ते दामों पर खरीद कर जंगल के रास्ते पैदल हांककर सुकृत जंगल से राजदरी देवदरी जंगल होते हुए कोईलरवा हनुमान मंदिर गेट के पास से होते हुए बिहार प्रान्त ले जाकर ऊचे दामों पर बेच देते है और जो लाभ होता है आपस में बराबर बराबर बाट लेते है। यह कार्य हमलोग अपना व अपने परिवार के आर्थिक भौतिक दुनियाबी लाभ के लिये करते है।

पंजीकृत अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 100/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नौगढ़,चन्दौली

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

- संजय चौहान उर्फ पप्पू पुत्र रामसूरत चौहान नि0 ग्राम कर्माबाध थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली उम्र 45 वर्ष
- लोकू चौहान पुत्र राममूरत चौहान नि0 ग्राम रामपुर थाना चांद जनपद भभुआ विहार उम्र 42 वर्ष

बरामदगी-

1.36 राशि गोवंश

अपराधिक इतिहास अभियुक्त संजय चौहान उर्फ पप्पू -

- मु0अ0स0- 86/23 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0नि0 अधि0 थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
- मु0अ0स0- 35/15 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0नि0 अधि0 थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
- मु0अ0स0- 92/21 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0नि0 अधि0 थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
- मु0अ0स0- 110/22 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0नि0 अधि0 थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

5.मु0अ0स0- 87/23 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0नि0 अधि0 थाना नौगढ जनपद चन्दौली

6.मु0अ0स0- 90/23 धारा 3/5A/5B/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0नि0 अधि0 व 429 भादवि थाना नौगढ जनपद चन्दौली

7.मु0अ0स0 131/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली

अपराधिक इतिहास अभियुक्त लोकू चौहान उपरोक्त ..

1.मु0अ0स0 40/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नौगढ चन्दौली

बरामदगी/ गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण -

1.थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी चन्द्रप्रभा थाना नौगढ जनपद चन्दौली

3.हे0का0 प्रदीप यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली

4.का0 गुफरान थाना नौगढ जनपद चन्दौली

थाना चकिया जनपद-चन्दौली

◆थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा गोवंश की तस्करी करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव के आदेशानुसार चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण,वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 23.10.2024 को थाना चकिया पर पंजीकृत मु.अ.सं. 187/2024 व मु.अ.सं. 191/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि.अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार नाऊ पुत्र जगनन्दन उर्फ यदुनन्दन निवासी शाहपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली को बरहुआ तिराहा वहदग्राम बरहुआ से गिरफ्तारी किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त व गिरफ्तारी का स्थान-

1.प्रमोद कुमार नाऊ पुत्र जगनन्दन उर्फ यदुनन्दन निवासी शाहपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली को बरहुआ तिराहा वहदग्राम बरहुआ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त प्रमोद कुमार नाऊ का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु.अ.सं. 187/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि.अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली
- 2.मु.अ.स 191/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि.अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली
- 3.मु.अ.सं. 116/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 3/5ए/5बी/8 गो.नि.अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. थाना नौगढ जनपद चन्दौली
- 4.मु.अ.सं. 133/23 धारा 3(1) उ.प्र. गैग्रेस्टर एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

- 1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
- 2.उ0नि0 गंगाधर मौर्य थाना चकिया जनपद चन्दौली।
- 3.हे0का0 प्रवीण कुमार सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।

जनपद चंदौली

◆ मा0 न्यायालय जनपद चंदौली महोदय के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी सकलडीहा द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्तों के कोर्ट में पेश न होने पर चल अचल संपत्ति होगी कुर्क, डुगडुगी बजाकर थाना धानापुर पुलिस ने की घोषणा

चंदौली:- मा0 न्यायालय जनपद चंदौली महोदय के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के नेतृत्व में थाना धानापुर पुलिस टीम द्वारा थाना धानापुर के ग्राम अहिकौरा मे दिनांक 01.06.2024 को घटित घटना दहेज हत्या के सम्बन्ध मे थाना धानापुर पर मु0अ0सं0 73/2024 धारा 498ए, 304बी, 506 भादवि0 व 3 / 4 डीपी एक्ट थाना धानापुर जिला चन्दौली मे वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1. ललित कुमार पुत्र राम बचन, 2. राम बचन पुत्र बसन्तराम, 3. फुलवासी देवी पत्नी राम बचन, 4. आरती पुत्री रामबचन निवासीगण ग्राम अहिकौरा थाना धानापुर जनपद चन्दौली को मा० न्यायालय चन्दौली महोदय द्वारा प्राप्त 82 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही हेतु अभियुक्तगण के घर ग्राम अहिकौरा. थाना धानापुर जनपद चन्दौली जाकर अभियुक्तगण का मा० न्यायालय में समर्पण हेतु नियमानुसार डुगडुगी बजवायी गयी। अभियुक्त के मकान के सदृश्य स्थान पर समक्ष गवाहान नोटिस चस्पा करायी गयी। इस दौरान गांव के तमाम लोग मौजूद रहे।